# प्रेस नोट दिनाँक- 06.12.2023

**(1).** आज दिनाँक 06.12.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

**(2).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 06.12.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे- चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

**(3).** पुलिस अधीक्षक महोदया चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त सोनू पुत्र कैलाश निवासी आजाद का पुरवा मजरा खटवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 04.12.2023 को एक वादिया द्वारा थाना राजापुर मे सूचना दी थी कि उनकी 07 वर्षीय नाबालिक पुत्री के साथ सोनू उपरोक्त ने दुष्कर्म किया है । इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 286/2023 धारा 376

भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा घटना का संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक राजापुर को आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। प्रभारी निरीक्षक राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनाँक 05.12.2023 को अभियुक्त सोनू पुत्र कैलाश निवासी आजाद का पुरवा मजरा खटवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को आजाद का पुरवा मजरा खटवारा से गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-**

सोनू पुत्र कैलाश निवासी आजाद का पुरवा मजरा खटवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**

1. प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार
2. आरक्षी मोनू राय
3. मुख्य आरक्षी चालक मुकेश कुमार

**(4).** पुलिस अधीक्षक महोदया चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में थाना मऊ एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा एसपी चित्रकूट, एसओजी व साइबर क्राइम के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपये ऐंठने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है **किनाँक 24.11.2023** थाना मऊ जनपद चित्रकूट थाना मऊ में **श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह** निवासी ग्राम गढ़वा गजरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा अपने साथ धोखा-धड़ी करके एसओजी टीम से पकड़वाने के नाम पर **58 हजार रुपये** व किसी महिला की आवाज में बात कराकर एसपी मैम के नाम पर फोन-पे के माध्यम से कई बार में विश्वास दिला-दिला कर **62 हजार रुपये** ले लेने तथा उसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी जिस पर थाना मऊ में **मु0अ0सं0 278/23 धारा 406,420,506 भादवि0 व 66 आईटी एक्ट** विरुद्ध **धीरज सिंह उर्फ धीरू** पुत्र जवाहर सिंह निवासी कसहाई रोड गोल तालाब के पास थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट व **एक महिला नाम पता अज्ञात** पंजीकृत होकर विवेचना निरीक्षक अपराध श्री अभयराज सिंह थाना मऊ द्वारा प्रारम्भ की गयी।

दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी मुकदमा की बहन दिनाँक 16.10.2023 से घर से लपता हो गयी थी जिस कारण वादी बहुत परेशान था। इसी दौरान वादी की मुलाकात अभियुक्त **धीरज उर्फ धीरु** उपरोक्त से हुई जिसने कहा कि उसका एसपी चित्रकूट, एसओजी तथा साइबर शाखा से अच्छे सम्बन्ध हैं। वह आपकी बहन को अतिशीघ्र बरामद करवा देगा। उक्त क्रम में वह व्यक्ति एक महिला की आवाज में फोन पर वार्ता करवायी जिसने एसपी चित्रकूट बनकर वार्ता की और कहा कि मैं शीघ्र ही एसओजी टीम व साइबर टीम को लगाकर आपकी बहन को बरामद करवाती हूं, लेकिन अधिक दिनों तक गुमशुदा की बरामदगी न होने पर जब वादी द्वारा धीरज पर दबाब बनाया गया तो वह टाल मटोल कर पैसा वापस न करके जान से मारने की धमकी देने लगा जिस सम्बन्ध में थाना मऊ में अभियोग पंजीकृत करवाया गया।

विवेचना के क्रम में नामजद अभियुक्त धीरज उर्फ धीरू उपरोक्त व विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त बबलू सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह निवासी लवेद थाना मऊ जनपद चित्रकूट को आज **दिनाँक 06.12.2023** को अशोक चौराहा कस्बा मऊ से **बोलेरो गाड़ी** के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना मऊ में महेवा घाट जनपद कौशाम्बी के निवासी से राष्ट्रीय राज्यमार्ग जोरवारा टोल प्लाजा का ठेका दिलाने के नाम पर कूटरचित साजिश **कर 71 लाख रुपये** की ठगी की गयी है, जिस सम्बन्ध में थाना मऊ में **मु0अ0सं0 285/2023 धारा 406,491,420,467,468,471,120बी,506 भादवि0** भी पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त थाना पहाड़ी में आरोपीगण के विरुद्ध एक अन्य **मु0अ0सं0 101/2020 धारा 419,420,406 भादवि0** जमीन देने के बहाने **15 लाख रुपये** की ठगी

करने के सम्बन्ध में भी पंजीकृत है। मुख्य आरोपी धीरज उर्फ धीरु सिंह उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर नौकरी देने के बहाने कई लोगों से ठगी करने का तथ्य भी प्रकाश में आया है जिसकी गहनता से जांच की जा रही है।

**अभियुक्तों का विवरणः-**

1. धीरज सिंह उर्फ धीरू पुत्र जवाहर सिंह निवासी लवेद थाना मऊ जनपद चित्रकूट हाल पता कसहाई रोड गोल तालाब के पास थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
2. बबलू सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह निवासी लवेद थाना मऊ जनपद चित्रकूट

**अभियुक्त धीरज सिंह उर्फ धीरू का अपराधिक इतिहासः-**

1. मु0अ0सं0 278/23 धारा 406,420,506 भादवि0 व 66 आईटी एक्ट थाना मऊ
2. मु0अ0सं0 285/2023 धारा 406,491,420,467,468,471,120बी,506 भादवि0 थाना मऊ
3. मु0अ0सं0 101/2020 धारा 419,420,406 भादवि0 थाना पहाड़ी

**अभियुक्त बबलू सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह का अपराधिक इतिहासः-**

1. मु0अ0सं0 278/23 धारा 406,420,506 भादवि0 व 66 आईटी एक्ट थाना मऊ
2. मु0अ0सं0 285/2023 धारा 406,491,420,467,468,471,120बी,506 भादवि0 थाना मऊ

**बरामदगीः-**

01 बोलेरो रजि0 UP96 T 5274

**गिरफ्तार करने वाली टीमः-**

**स्वाट टीमः-**

1. प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम श्री एम.पी त्रिपाठी
2. मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार द्विवेदी
3. आरक्षी रोशन सिंह
4. आरक्षी आशीष यादव
5. आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

**थाना मऊ पुलिस टीमः-**

1. प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी
2. निरीक्षक मऊ अपराध श्री अभय राज सिंह
3. आरक्षी राहुल पाण्डेय
4. आरक्षी प्रवीण पाण्डेय

**(5).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगडे को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका अनीता पुत्री मुन्ना निवासी भदावल पुरवा मऊ'ब' थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदया के समक्षा प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति रोहित उर्फ बबलू पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम नादन मऊ बदौसा जनपद बांदा उनके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं।पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त महिला आरक्षी सुरूची चौधरी व महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा व मारपीट न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दोनों पक्षों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

**(6).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी, पैरोकार मुख्य

आरक्षी आनन्द कुमार एवं मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री जयप्रकाश उपाध्याय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 96/2017 धारा 302/34,452,323,504,506 भादवि के आरोपी अभियुक्त 1 उमेश उर्फ लाल 2. दिनेश उर्फ टेनी 3. राजू 4. भईयवा पुत्रगण चुन्ना यादव निवासीगण डांक बंगला कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 12500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरणः-**

दिनाँक 17.01.2017 को वादिया श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी छंगूलाल यादव निवासी डांक बंगला कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दी कि उनके पुत्र लवलेश यादव व उमेश उर्फ लाला यादव पुत्र चन्ना यादव के बीच पांच रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने समझाकर शांत करा दिया था, किंतु इसके बाद रात नौ बजे उमेश अपने भाई दिनेश उर्फ टेनी, राजू व भईयवा उपरोक्त के साथ लाडी, कुल्हाड़ी व बाका लेकर घर आया। यहां चारों भाई घर के अंदर घुसकर गाली-गलौज करने लगे और घर के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में लवलेश घर के आंगन में गिर गया और उसकी मौत हो गई। हमलावरों ने लवलेश के पिता छंगूलाल के साथ भी मारपीट की। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 96/2017 धारा 302/34,452,323,504,506 भादवि बनाम उमेश उर्फ लाल, दिनेश उर्फ टेनी, राजू, भइयवा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवेचना तत्कालनी प्रभारी निरीक्षक श्री शैल कुमार सिंह द्वारा की विवेचना की गयी एवं दिनाँक 15.04.2017 को आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।